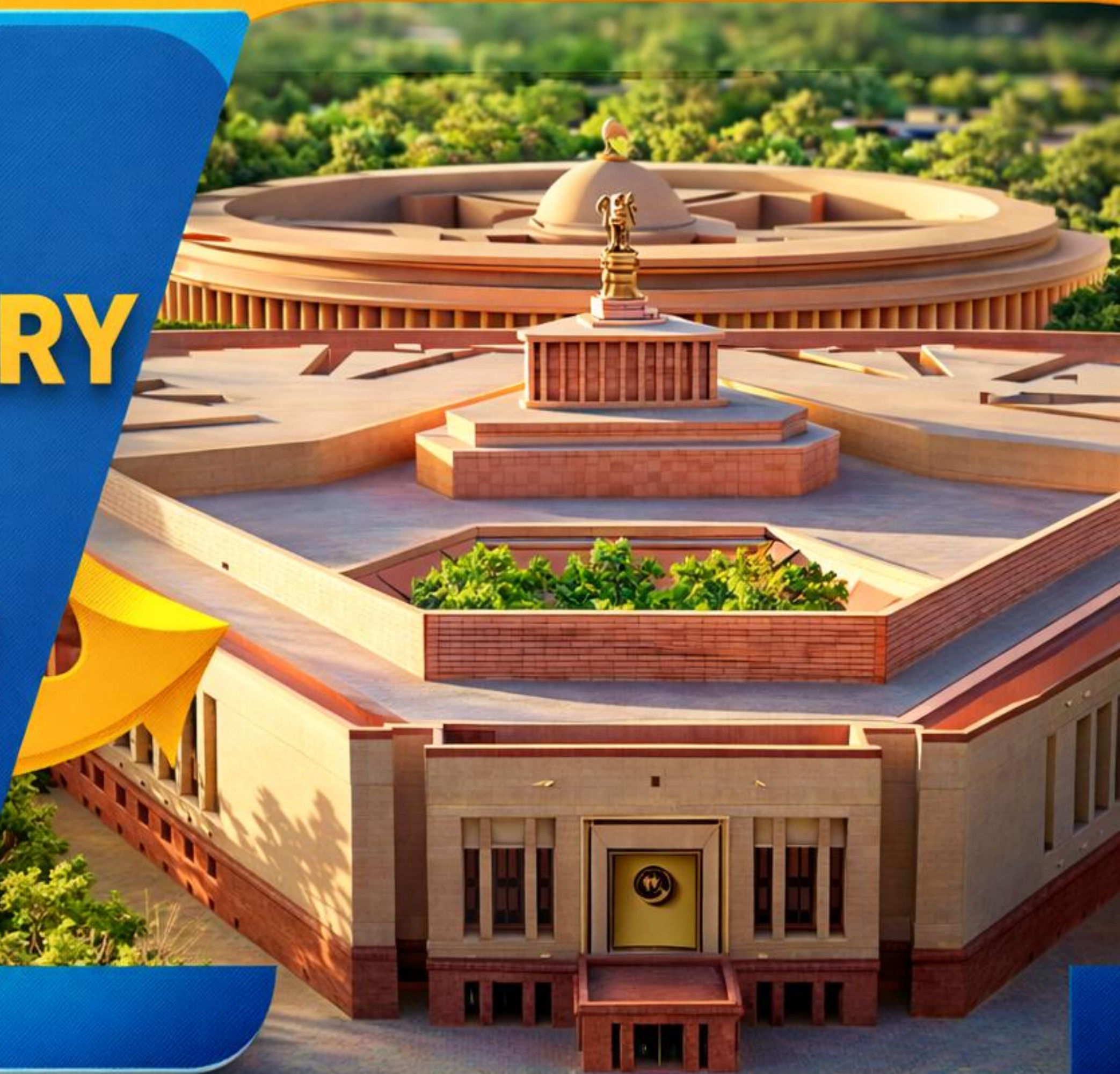


INDIAN PARLIAMENTARY SYSTEM

भारतीय संसदीय
प्रणाली



Indian Parliamentary System

- The Parliament of India, also known as the Sansad, is the supreme legislative body of the country.
- भारत की संसद, जिसे संसद भी कहा जाता है, देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है।
- Articles 79 to 122 in Part V of the Indian Constitution deal with the provisions related to the Parliament of India.
- भारतीय संविधान के भाग V के अनुच्छेद 79 से 122 भारत की संसद से संबंधित प्रावधानों से संबंधित हैं।
- Adoption of “Parliamentary form of government” gives a pivotal position to parliament in the Indian democratic system.
- "संसदीय शासन प्रणाली" को अपनाने से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है।



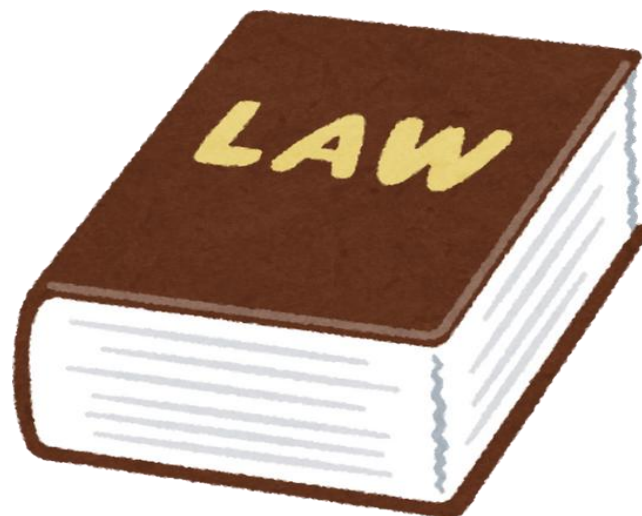
Parliament

President

- **Integral part of the Parliament** (though not a member of either House of Parliament).
- संसद का अभिन्न अंग (हालांकि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं)।
- **Bill passed by both houses cannot become law without the President's assent** / दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता।
- **Summons & prorogue both the Houses** / दोनों सदनों का आह्वान और सत्रावसान।
- **Dissolves the Lok Sabha** / लोकसभा भंग।
- **Addresses both the Houses,** / दोनों सदनों को संबोधित।
- **Issues ordinances** / अध्यादेश जारी।

Rajya Sabha

- **Also called the upper House (Second Chamber or house of elders or council of states)**
- इसे उच्च सदन (द्वितीय सदन या वरिष्ठों का सदन या राज्यों की परिषद) भी कहा जाता है।
- **Represent state's Interest in parliament.**
- संसद में राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।

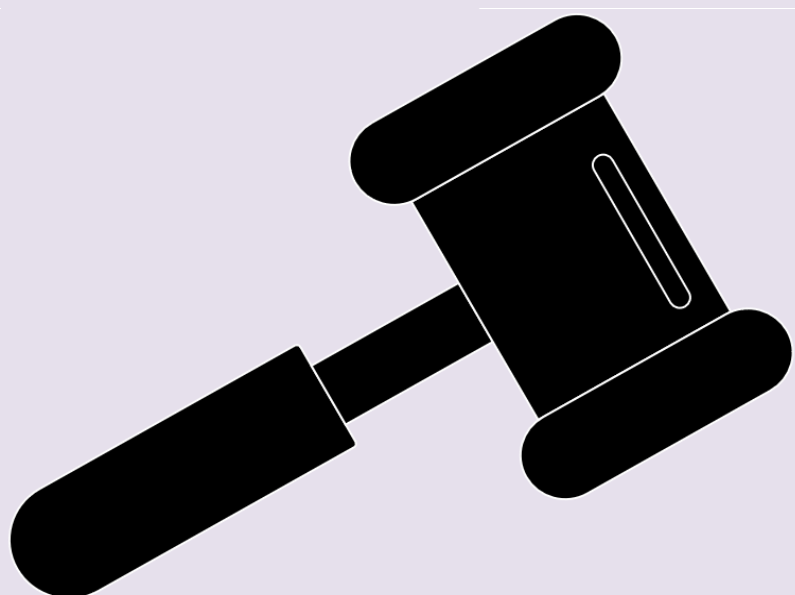


Lok Sabha

- **Also called as Lower House (First Chamber or RAJYA SABHA)**
- इसे निम्न सदन (प्रथम सदन या राज्य सभा) भी कहा जाता है।
- **Also called as Upper House (Second Chamber or Popular House or House of the People).**
- इसे उच्च सदन (द्वितीय सदन या लोकप्रिय सदन या जनता का सदन) भी कहा जाता है।
- **Represents people's will**
- यह जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है।

FUNCTIONS OF PARLIAMENT

संसद के कार्य



Legislative roles/ विधायी भूमिकाएँ

Executive roles/ कार्यकारी भूमिकाएँ

Financial roles/ वित्तीय भूमिकाएँ

Constituent roles/ घटक भूमिकाएँ

Electoral roles/ निर्वाचक नामावली

Composition of two Houses

Lok Sabha (लोकसभा)

550 Maximum members

- 530 members directly elected from territorial constituency in the state
- राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे चुने गए 530 सदस्य
- 20 members directly elected under the Union Territories (direct election to the house of people act 1965)
- संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित 20 सदस्य (लोक सभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिनियम 1965)



Rajya Sabha (राज्यसभा)

250 Maximum members

- 238 members Elected by the elected members of state legislative assemblies by proportional representation by single transferable vote
- 238 सदस्य राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित
- 12 members Nominated by president from people who have special knowledge or practical experience in art, literature, science and social service.
- 12 सदस्य - राष्ट्रपति द्वारा नामित ऐसे लोग जिनके पास कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।



Note: 104th CA Act does not extend the provision of nominating Anglo Indians to Lok Sabha and legislative bodies
104वां सीए अधिनियम एंग्लो इंडियन को लोकसभा और विधायी निकायों में नामित करने के प्रावधान का विस्तार नहीं करता है।

ARTICLES RELATED TO PARLIAMENT

General Articles

- A-79. Constitution of Parliament
- A-80. Composition of the Council of States
- A-81. Composition of the House of the People
- A-82. Readjustment after each census
- A-83. Duration of Houses of Parliament
- A-84. Qualification for membership of Parliament
- A-85. Sessions of Parliament, prorogation and dissolution
- A-86. Right of President to address and send messages to Houses
- A-87. Special address by the President
- A-88. Rights of Ministers and Attorney General as respects Houses

Officers of Parliament

- A-89. The Chairman and Deputy Chairman of the Council of States
- A-90. Vacation and resignation of, and removal from, the office of Deputy Chairman
- A-91. Power of the Deputy Chairman or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Chairman
- A-92. The Chairman or the Deputy Chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration
- A-93. The Speaker and Deputy Speaker of the House of the People
- A-94. Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speaker and Deputy Speaker

Officers of Parliament

- A-95. Power of the Deputy Speaker or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Speaker
- A-96. The Speaker or the Deputy Speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration
- A-97. Salaries and allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker
- A-98. Secretariat of Parliament

संसद से संबंधित लेख

सामान्य लेख

- A-79. संसद का गठन
- A-80. राज्य सभा की संरचना
- A-81. लोक सभा की संरचना
- A-82. प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन
- A-83. संसद के सदनों की अवधि
- A-84. संसद की सदस्यता के लिए योग्यता
- A-85. संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन
- A-86. सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार
- A-87. राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
- A-88. सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार

संसद के अधिकारी

- A-89. राज्य सभा के सभापति और उपसभापति
- A-90. उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना
- A-91. उपसभापति या अन्य व्यक्ति की सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति
- A-92. सभापति या उपसभापति द्वारा पद से हटाए जाने के प्रस्ताव पर विचाराधीन होने पर अध्यक्षता न करना
- A-93. लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- A-94. सभापति और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना

संसद के अधिकारी

- A-95. उपसभापति या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति
- A-96. अध्यक्ष या उपसभापति द्वारा अपने पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचाराधीन होने पर अध्यक्षता न करना
- A-97. सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपसभापति के वेतन और भत्ते
- A-98. संसद सचिवालय

LOK SABHA

- It is also known as the 'House of people' or 'lower house'.
- इसे 'जनता का सदन' या 'निचला सदन' भी कहा जाता है।
- It was constituted on 3rd April 1952.
- इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था।
- Hindi name adopted in the year 1954.
- हिंदी नाम 1954 में अपनाया गया।
- First sitting of Lok Sabha was held on 13 May 1952.
- लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी।
- Members of the Lok Sabha elected directly.
- लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।
- The Lok Sabha is the Lower House (First Chamber/Popular House), Represents the People of India as a whole
- लोकसभा निचला सदन (प्रथम सदन/लोकप्रिय सदन) है, जो समग्र रूप से भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है।



Composition of Lok Sabha/ लोकसभा की संरचना

- **Maximum strength of the Lok Sabha is fixed at 552.** / लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित है।
- **Representatives of the States and UTs (elected indirectly)** / राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि (अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित)
- **Members nominated by the President :- 2 from Anglo-Indian community.(Now this provision has been deleted by 104th Amendment of the Indian Constitution)** / राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य: 2 एंग्लो-इंडियन समुदाय से। (अब यह प्रावधान भारतीय संविधान के 104वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है)
- **Total member strength – 543** / कुल सदस्य संख्या - 543
- **Representatives of the States – 530** / राज्यों के प्रतिनिधि - 530
- **Representatives of the Union Territories – 20** / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि – 20

According to Art. 366 (2) Anglo Indian (अनुच्छेद 366 (2) के अनुसार एंग्लो इंडियन)

- A person whose father or any of whose other male progenitors in the male line is or was of European descent but who is domiciled within the territory of India and is or was born within such territory of parents habitually resident therein and not merely established there for temporary purposes.
- ऐसा व्यक्ति जिसके पिता या पुरुष वंश में कोई अन्य पुरुष पूर्वज यूरोपीय वंश का है या था, किन्तु जो भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवासी है और ऐसे राज्यक्षेत्र में उसके माता-पिता के निवास स्थान के अनुसार पैदा हुआ है या हुआ था, तथा वह केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वहां स्थापित नहीं हुआ है।



Representation of states in the Lok Sabha लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व

- The representatives of states in the Lok Sabha are directly elected by the people from the territorial constituencies in the states.
- लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से जनता द्वारा सीधे किया जाता है।
- The election is based on the principle of universal adult franchise.
- यह चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है।
- Eligible age for every Indian citizen to vote is 18 year.
- प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए मतदान की पात्र आयु 18 वर्ष है।

Representation of Union Territories in the Lok Sabha लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व

- The election is based on the principle of universal adult franchise. Eligible age for every Indian citizen to vote is 18 year
- यह चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए मतदान की पात्र आयु 18 वर्ष है।
- Parliament enacted UTs (Direct Election to the House of the People) Act, 1965, by which the members of Lok Sabha from the UTs are also chosen by direct election
- संसद ने संघ शासित प्रदेशों (लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन) अधिनियम, 1965 पारित किया, जिसके तहत संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है।

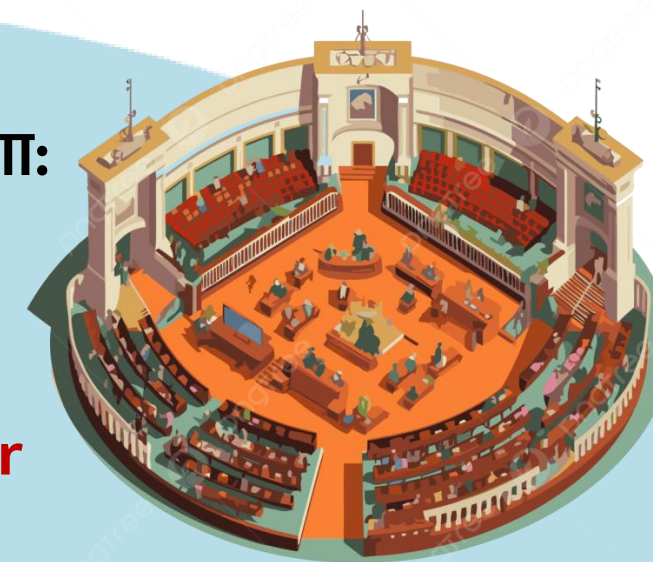


Readjustment of Lok Sabha seats after every census

प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का पुनः समायोजन

Article 82

- **After every census, a readjustment is to be made in:/** प्रत्येक जनगणना के बाद, निम्नलिखित में पुनः समायोजन किया जाएगा:
- **Allocation of seats in the Lok Sabha to the states/** राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन
- **Division of each state into territorial constituencies./** प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन।
- **Accordingly, the Parliament has enacted the Delimitation Commission Acts in 1952, 1962, 1972 and 2002 for this purpose. (four times till date)/** तदनुसार, संसद ने इस उद्देश्य के लिए 1952, 1962, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किए हैं। (आज तक चार बार)
- **The 42nd Constitutional Amendment Act , 1976: seats were fixed based on 1971 Census until 2000. /** 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976: 2000 तक 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें निर्धारित की गईं।
- **The 84th CAA 2001 banned readjustment of seats that was extended for another 25 years (up to year 2026) /** 84वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 ने सीटों के पुनर्समायोजन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे अगले 25 वर्षों (वर्ष 2026 तक) के लिए बढ़ा दिया गया।
- **The 87th Constitution Amendment Act, 2003 Provided for the delimitation of constituencies on the basis of 2001 census and not 1991 census/** 87वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने 1991 की जनगणना के बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया।



Rajya Sabha

- It is also known as the 'House of Elders' or 'Council of States'.
- इसे 'वृद्धों का सदन' या 'राज्य परिषद' के नाम से भी जाना जाता है।
- Hindi name was adopted in 1954.
- हिंदी नाम 1954 में अपनाया गया था।
- It was constituted on 3rd April 1952.
- इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था।
- First sitting was held on 13 May 1952.
- पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी।



Composition of Rajya Sabha/राज्यसभा की संरचना

- Maximum strength of the Rajya Sabha is fixed at 250 (238 Members elected indirectly and 12 nominated by the President/ राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है (238 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत)।

Present Rajya Sabha-/ वर्तमान राज्यसभा -

- Total member strength / कुल सदस्य संख्या – 245
- Representatives of the States / राज्यों के प्रतिनिधि – 229
- Representatives of the Union Territories/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि – 4
- Members nominated by the president / राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य – 12



Representation of states in the Rajya Sabha राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व

- Representatives of states in the Rajya Sabha are elected by the elected members of state legislative assemblies.
- राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- Method of Election: System of proportional representation by means of the single transferable vote.
- निर्वाचन पद्धति: एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली।
- The seats are allotted to the states in the Rajya Sabha on the basis of population.
- राज्यसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं।

Representation of Union Territories in the Rajya Sabha राज्यसभा में में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व

- The representatives of each UTs in the Rajya Sabha are indirectly elected by members of an electoral college specially constituted for the purpose.
- राज्यसभा में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों का चुनाव इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
- Method of Election: Through a System of proportional representation by means of the single transferable vote.
- निर्वाचन पद्धति: एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से।
- Only Delhi, Puducherry and Jammu & Kashmir have representation in Rajya Sabha (total eight union territories)
- केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है (कुल आठ केंद्र शासित प्रदेश)

Nominated members in the Rajya Sabha/राज्यसभा में मनोनीत सदस्य

- 12 members nominated by President to the Rajya Sabha from people who have special knowledge or practical experience in
- राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत 12 सदस्य, ऐसे व्यक्तियों में से जिन्हें :
 - Art/कला
 - Literature/साहित्य
 - science and/विज्ञान और
 - social service/समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।

- 104th Constitutional Amendment Act 2019 (126th CA Bill)
- 104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2019 (126वाँ संविधान संशोधन विधेयक)
- Objectives of the amendments are two fold: संशोधनों के दो उद्देश्य हैं:
- To extend reservation for SC and ST(Art. 330 and 332) to Lok Sabha and legislative bodies.
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अनुच्छेद 330 और 332) के लिए आरक्षण को लोकसभा और विधायी निकायों तक विस्तारित करना।
- Discontinuing the provision of nominating Anglo Indians(Art. 331) to Lok Sabha and legislative bodies.
- एंग्लो इंडियन (अनुच्छेद 331) को लोकसभा और विधायी निकायों में नामांकित करने के प्रावधान को समाप्त करना।

Comparing Proportional Representation and First Past the Post System

Proportional Representation (अनुपातिक प्रतिनिधित्व)	First Past the Post System (बहुलता प्रणाली / प्रथम-मत-प्राप्त प्रणाली)
Large geographical areas are demarcated as constituencies. The entire country may be a single constituency (e.g., Israel, Netherlands). बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विभाजित किया जाता है। पूरा देश एक ही निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है (जैसे: इज़राइल, नीदरलैंड)।	The country is divided into small geographical units called constituencies or districts. देश को छोटे-छोटे भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों या जिलों में बाँटा जाता है।
More than one representative may be elected from one constituency. एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं।	Every constituency elects one representative only. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है।
Voters vote for the party instead of a candidate. मतदाता उम्मीदवार के बजाय पार्टी को वोट देते हैं।	Voters vote for a candidate and not for a party. मतदाता पार्टी के बजाय उम्मीदवार को वोट देते हैं।
Every party gets seats in proportion to the percentage of votes it gets. प्रत्येक दल को प्राप्त मत प्रतिशत के अनुसार सीटें मिलती हैं।	A party may get more seats than its share of votes. किसी दल को उसके मत प्रतिशत से अधिक सीटें मिल सकती हैं।
Candidate who wins must get majority (50% + 1) votes. विजेता को बहुमत (50% + 1) मत प्राप्त करना आवश्यक होता है।	Candidate who wins may not get majority (50% + 1) votes. विजेता को बहुमत (50% + 1) मत मिलना आवश्यक नहीं है।
Examples: Israel, Netherlands उदाहरण: इज़राइल, नीदरलैंड	Examples: U.K., India उदाहरण: यू.के., भारत



Article 83 : Duration of the House अनुच्छेद 83: सदन की अवधि

Lok Sabha

- **Non-continuing chamber as it dissolves every five years./** यह निरंतर चलने वाला सदन नहीं है, हर पाँच वर्ष में भंग हो जाता है।
- **Term of 5 years. /** इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- **President dissolves Lok Sabha and this cannot be challenged in a court of law./** लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करते हैं और इस प्रक्रिया को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- **Term of the Lok Sabha can be extended during National Emergency for 1 year at a time for any length of time. /** राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- **Extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has ceased to operate./** आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद तक ही इसका विस्तार जारी रह सकता है।

Rajya Sabha

- **Continuing chamber as 1/3rd members retire every second year (eligible for re-election and renomination)./** यह स्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं (पुनर्निर्वाचन और पुनर्नियुक्ति के योग्य)।
- **Permanent body and not subject to dissolution. /** राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती, यह एक स्थायी सदन है।
- **Term of office of members is not fixed by the Constitution and is left to the Parliament./** सदस्यों का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, यह संसद तय करती है।
- **Representation of the People Act (RPA) 1951 provides the term of a member to be 6 years./** जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
- **RPA 1951 empowers President to curtail term of members. /** RPA 1951 राष्ट्रपति को सदस्यों के कार्यकाल को कम करने की शक्ति देता है।

Membership of Parliament

Article 84

According to Constitution

QUALIFICATIONS/योग्यताएं

- Citizen of India.
- भारत का नागरिक।
- Make and subscribe to an oath or affirmation before the person authorized by the election commission for this purpose.
- इस प्रयोजन के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लें या प्रतिज्ञान करें।
- Rajya Sabha: Not less than 30 years of age.
राज्य सभा: कम से कम 30 वर्ष की आयु।
- Lok Sabha: Not less than 25 years of age.
लोक सभा: कम से कम 25 वर्ष की आयु।
- Possess other qualifications prescribed by Parliament.
संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ रखें।

DISQUALIFICATIONS/अयोग्यताएं

- Holds any office of profit under Union or state.
- संघ या राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो।
- Unsound mind and stands so declared by a court.
- विकृतचित्त हो और न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो।
- Undischarged insolvent.
- अनुम्त दिवालिया।
- Not a citizen of India or voluntarily acquired the citizenship of a foreign state or is under any acknowledgement of allegiance to a foreign state.
- भारत का नागरिक न हो या स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त न की हो या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा की स्वीकृति न रखता हो।
- Disqualified under any law made by Parliament.
- संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य।

Membership of Parliament

According to RP Act 1951

QUALIFICATIONS/योग्यताएं

- Registered as an elector for a parliamentary constituency. / किसी संसदीय क्षेत्र के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत।
- For Rajya Sabha, member can be an elector from any state./ राज्यसभा के लिए, सदस्य किसी भी राज्य का मतदाता हो सकता है।
- Member of a SC or ST in any state or UT, if he wants to contest a seat reserved for them. / किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य, यदि वह अपने लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है।
- SC or ST can also contest a seat not reserved for them/ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अपने लिए आरक्षित न होने वाली सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं।

DISQUALIFICATIONS/अयोग्यताएं

- Found guilty of certain election offences. /कुछ चुनावी अपराधों में दोषी पाया गया।
- Convicted for any offence resulting in imprisonment for 2 or more years. (Not valid for preventive detention law)./ किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया जिसके परिणामस्वरूप 2 या अधिक वर्षों का कारावास हो सकता है। (निवारक निरोध कानून के लिए मान्य नहीं)।
- Failed to lodge an account of his election expenses.
- अपने चुनाव व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहा।
- Any interest in government contracts, works or services.
- सरकारी अनुबंधों, कार्यों या सेवाओं में कोई रुचि नहीं।
- Be a director or managing agent nor hold an office of profit in a corporation in which the government has at least 25% share. / किसी ऐसे निगम में निदेशक या प्रबंध प्रतिनिधि न हो जिसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो।
- Dismissed from government service for corruption or disloyalty to the State./ भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया।
- Convicted for promoting enmity between different groups or for the offence of bribery./ विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने या रिश्तखोरी के अपराध के लिए दोषी पाया गया।
- Punished for preaching and practising social crimes such as untouchability, dowry and sati./ अस्पृश्यता, दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार और अभ्यास करने के लिए दंडित किया गया।

Article 85 (अनुच्छेद 85)

Sessions of Parliament, Prorogation and Dissolution on the advice of Council of Minister.

मंत्रिपरिषद् की सलाह पर संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन।

Parliamentary session:

- **Summoning and Sessions:** The President from time to time summons each House of Parliament to meet. / आह्वान और सत्र: राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए बुलाते हैं।
- **Parliament should meet at least twice a year.** / संसद की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए।
- **Maximum gap between two sessions of Parliament cannot be more than six months.** / संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल छह महीने से अधिक नहीं हो सकता।
- ❖ **There are usually three sessions in a year** / आमतौर पर एक वर्ष में तीन सत्र होते हैं।
- **Budget Session (February to May) – longest of all sessions** / बजट सत्र (फरवरी से मई) - सभी सत्रों में सबसे लंबा
- **Monsoon Session (July to September)** / मानसून सत्र (जुलाई से सितंबर)
- **Winter Session (November to December)** / शीतकालीन सत्र (नवंबर से दिसंबर)



Prorogation : End of session (By President)/ **सत्रावसान:** सत्र का अंत (राष्ट्रपति द्वारा)

Adjournment: An adjournment suspends the work in a sitting for a specified time, which may be hours, days or weeks./ स्थगन किसी बैठक में कार्य को एक निश्चित समय के लिए स्थगित कर देता है, जो घंटों, दिनों या हफ्तों तक हो सकता है।

- **Each meeting of a day consists of two sittings – morning sitting and post-lunch sitting./** प्रत्येक दिन की बैठक में दो बैठकें होती हैं - सुबह की बैठक और दोपहर के भोजन के बाद की बैठक।

Adjournment Sine Die in the Indian Parliament:

- **When the House is adjourned without naming a day for reassembly, it is called adjournment sine die (terminating a sitting for an indefinite period)./** जब सदन को पुनः समवेत होने के लिए कोई दिन निर्धारित किए बिना स्थगित कर दिया जाता है, तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन (बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना) कहा जाता है।
- **Presiding officer of the House has the power of adjournment sine die /** सदन के पीठासीन अधिकारी के पास अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने का अधिकार होता है।
- **He can also call a sitting of the House before the date or time to which it has been adjourned or at any time after the House has been adjourned sine die. /** वह सदन की बैठक स्थगित होने की तिथि या समय से पहले या सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद किसी भी समय बुला सकता है।

Termination Procedures in the Indian Parliament: Adjournment vs. Prorogation

भारतीय संसद में कार्यवाही समाप्ति की प्रक्रियाएँ: स्थगन बनाम अवसान

Adjournment (स्थगन)

- It only terminates a sitting and not a session of the House./ यह केवल बैठक (बैठक दिवस) को समाप्त करता है, न कि संसद के सत्र को।
- It is done by the presiding officer of the House. / यह सदन के सभापति/अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
- It does not affect the bills or any other business pending before the House and the same can be resumed when the House meets again./ इसका प्रभाव लंबित विधेयकों या अन्य कार्यों पर नहीं पड़ता। जब सदन फिर से बैठता है, तो कार्य आगे जारी रहता है।

Prorogation (अवसान)

- It terminates both, sitting and a session of the House./ यह न केवल बैठक बल्कि पूरे सत्र को समाप्त कर देता है।
- It is done by the President of India./ यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- It also does not affect the bills or any other business pending before the House. However, all pending notices (other than those for introducing bills) lapse on prorogation and fresh notices have to be given for the next session./ यह भी लंबित विधेयकों या कार्यों को प्रभावित नहीं करता, लेकिन सभी लंबित सूचनाएं (विधेयक प्रस्तुत करने की सूचनाओं को छोड़कर) अवसान के साथ समाप्त हो जाती हैं और अगले सत्र के लिए नई सूचनाएँ देनी होती हैं।

Dissolution of the house/सदन का विघटन:



- **Rajya Sabha is a permanent House and is not subject to dissolution**
- राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं हो सकता।
- **Only the Lok Sabha is subject to dissolution.**
- केवल लोकसभा का विघटन संभव है।
- **The dissolution of the Lok Sabha may take place in either of two ways Automatic dissolution on the expiry of its tenure of five years**
- लोकसभा का विघटन दो तरीकों से हो सकता है: पाँच वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर स्वतः विघटन।
- **If the President decides to dissolve the House**
- यदि राष्ट्रपति सदन को भंग करने का निर्णय लेते हैं, तो
- **The dissolution of the Lok Sabha is irrevocable.**
- लोकसभा का विघटन अपरिवर्तनीय होता है।
- **On dissolution of Lok Sabha, all business, including bills, motions, resolutions, notices, petitions and so on pending before it or its committees lapse.**
- लोकसभा के विघटन पर, उसके या उसकी समितियों के समक्ष लंबित सभी कार्य, जिनमें विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, सूचनाएँ, याचिकाएँ आदि शामिल हैं, समाप्त हो जाते हैं।

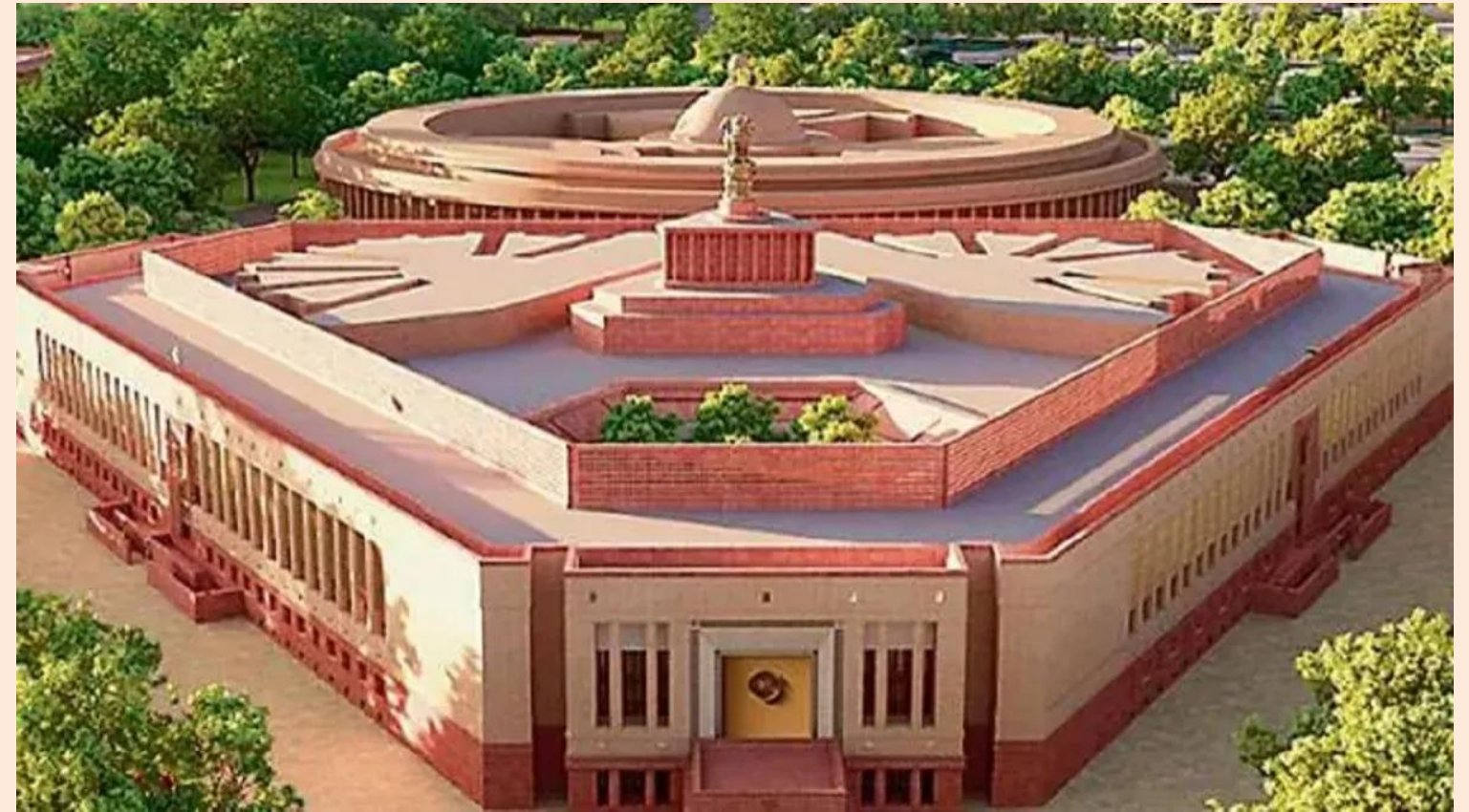
Lapsing of Bills in the Indian Parliament

भारतीय संसद में विधेयकों का लैप्स (समापन)

Category श्रेणी	Details विवरण
Bill lapses विधेयक समाप्त हो जाते हैं (लैप्स हो जाते हैं)	1. Bills pending in the Lok Sabha (whether originating in the Lok Sabha or transmitted to it by the Rajya Sabha)/लोकसभा में लंबित विधेयक (चाहे लोकसभा में प्रस्तुत किए गए हों या राज्यसभा द्वारा भेजे गए हों) 2. Bills passed by the Lok Sabha but pending in the Rajya Sabha/लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक Note: A bill originating in Lok Sabha lapses. नोट: लोकसभा में उत्पन्न हुआ विधेयक लोकसभा भंग होने पर समाप्त हो जाता है।
Bills do not lapse विधेयक समाप्त नहीं होते	1. Bill not passed by the two Houses due to disagreement and if the President has notified a joint sitting before the dissolution of Lok Sabha. / दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित न हो सका विधेयक और राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग होने से पहले संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी गई हो। 2. Bill pending in the Rajya Sabha but not passed by the Lok Sabha. / राज्यसभा में लंबित विधेयक जिन्हें लोकसभा ने पारित नहीं किया। 3. Bill passed by both Houses but pending assent of the President. / दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक। 4. Bill passed by both Houses but returned by the President for reconsideration./दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा।

Lame Duck Session

- Transition Period in the Indian Parliament
- भारतीय संसद में संक्रमण काल
- It is the last session of the existing Lok Sabha, after a new Lok Sabha has been elected.
- नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद, यह मौजूदा लोकसभा का अंतिम सत्र होता है।
- Those members of the existing Lok Sabha who could not get re-elected to the new Lok Sabha are called lame-ducks
- मौजूदा लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा में पुनः निर्वाचित नहीं हो सके, उन्हें 'लंगड़ा बत्तख' कहा जाता है।



Types of Questions

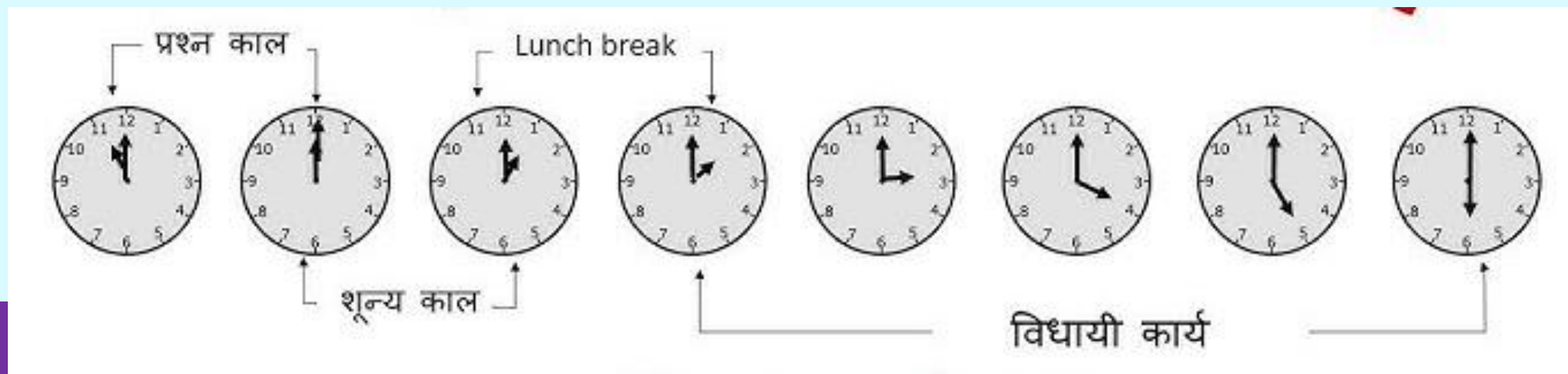
- **Starred question:** This question requires an oral answer and hence supplementary questions can follow.
- **तारांकित प्रश्न:** इस प्रश्न का मौखिक उत्तर आवश्यक है, इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
- **Unstarred question:** This question requires a written answer and hence, supplementary questions cannot follow.
- **अतारांकित प्रश्न:** इस प्रश्न का लिखित उत्तर आवश्यक है, इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।
- **Short notice question:** This question is one that is asked by giving a notice of less than ten days. It is answered orally.
- **अल्प सूचना प्रश्न:** यह प्रश्न दस दिन से कम समय पहले पूछा जाता है। इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है।

Routine of a session

- 11 A.M. – Start
- 11 A.M. – 12 P.M. – Question Hour
- 12 P.M. - 1 P.M. – Zero Hour

Zero hour in the Indian Parliament: (भारतीय संसद में शून्यकाल)

- The zero hour (Unlike the question hour) is not mentioned in the Rules of Procedure
- शून्यकाल (प्रश्नकाल के विपरीत) का उल्लेख प्रक्रिया नियमों में नहीं है।
- It is an Indian innovation (since 1962) in the field of parliamentary procedures.
- यह संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार (1962 से) है।
- The time gap between the question hour and the agenda is known as zero hour.
- प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय अंतराल को शून्यकाल कहा जाता है।
- The zero hour starts immediately after the question hour and lasts until the agenda for the day is taken up.
- शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और दिन की कार्यसूची पर चर्चा होने तक चलता है।



Motions in the Indian Parliament:

(भारतीय संसद में प्रस्ताव)



- **Closure Motion** : A motion moved by a member to cut short the debate on a matter before the house.
- **समापन प्रस्ताव**: सदन में किसी विषय पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव।
- **Call attention motion**: It is introduced in Parliament by a member to call the attention of a minister on a matter of public importance.
- **ध्यानाकर्षण प्रस्ताव**: यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा संसद में किसी मंत्री का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
- **Point of Order**: It is raised when the proceedings of the house do not follow the normal rules of procedure. No debate is allowed on Point Of Order.
- **व्यवस्था का प्रश्न**: यह प्रस्ताव तब उठाया जाता है जब सदन की कार्यवाही सामान्य प्रक्रिया नियमों के अनुसार नहीं चल रही हो। व्यवस्था के प्रश्न पर बहस की अनुमति नहीं है।

Adjournment Motion in the Indian Parliament :

- It is introduced in the Parliament to draw attention of the House to a definite matter of urgent public importance.
- यह संसद में किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है।
- This motion needs the support of 50 members to be admitted.
- इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
- It involves an element of censure against the government.
- इसमें सरकार की निंदा का भाव निहित होता है।
- Rajya Sabha is not permitted to make use of this device
- राज्य सभा को इस उपाय का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।
- The discussion on an adjournment motion should last for not less than two hours and thirty minutes.
- स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कम से कम दो घंटे और तीस मिनट तक चलनी चाहिए।



No-Confidence Motion in the Indian Parliament

(भारतीय संसद में अविश्वास प्रस्ताव)

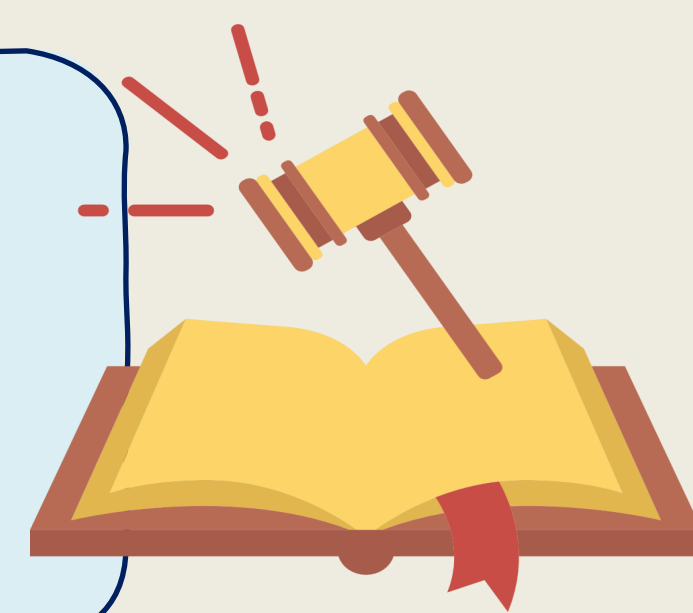
Acc. To Article 75

- **The council of ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. This principle is the bedrock of parliamentary democracy.** / मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह सिद्धांत संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला है।
- **It means that the ministry stays in office so long as it enjoys the confidence of the majority of the members of the Lok Sabha.** / इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बनी रहेगी जब तक उसे लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का विश्वास प्राप्त है।
- **No grounds required to introduce this motion.** / इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं है।
- **It is always moved against the entire CoM, not against individual ministers.** / यह प्रस्ताव हमेशा संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है, किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं।
- **The motion needs the support of 50 members to be admitted.** / इस प्रस्ताव को स्वीकृत होने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।

Article 86



- Right of President to Address and send Message.
- राष्ट्रपति का अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार।
- President can address either house or both Houses jointly.
- राष्ट्रपति किसी भी सदन या दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं।
- President can send message regarding pending Bills or other matters.
- राष्ट्रपति लंबित विधेयकों या अन्य मामलों के संबंध में संदेश भेज सकते हैं।



Article 87

- The first session after each general election and the first session of every fiscal year is addressed by the president.
- प्रत्येक आम चुनाव के बाद के पहले सत्र और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं।
- In this address, the president outlines the policies and programmes of the government in the preceding year and ensuing year./इस अभिभाषण में, राष्ट्रपति पिछले वर्ष और आगामी वर्ष में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं।
- At the end of the discussion, the motion is put to vote./चर्चा के अंत में, प्रस्ताव पर मतदान होता है।
- This motion must be passed in the House. / इस प्रस्ताव को सदन में पारित होना आवश्यक है।
- Not passing the motion amounts to the defeat of the government. / प्रस्ताव पारित न होना सरकार की पराजय के समान है।

Article 88



- Right of Ministers and Attorney General / मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के अधिकार
- Right to speak in either house but can vote only in that house of which they are a member./ किसी भी सदन में बोलने का अधिकार, लेकिन केवल उसी सदन में मतदान कर सकते हैं जिसके वे सदस्य हैं।
- Attorney General is not a member of either house but has the right to speak in Lok Sabha or Rajya Sabha, without having Right to Vote./ अटॉर्नी जनरल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार दिए बिना लोकसभा या राज्यसभा में बोलने का अधिकार होता है।

Article 89

- **Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha./** राज्यसभा के सभापति और उपसभापति।
- **The vice-president of India is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha./** भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
- **As a presiding officer, the powers and functions of the Chairman in the Rajya Sabha are similar to those of the Speaker in the Lok Sabha./** एक पीठासीन अधिकारी के रूप में, राज्यसभा में सभापति की शक्तियाँ और कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान होते हैं।
- **The Chairman of Rajya Sabha (Unlike the Speaker) is not a member of the House/** राज्यसभा का सभापति (अध्यक्ष के विपरीत) सदन का सदस्य नहीं होता है।
- **The Chairman also cannot vote in the first instance (similar to the Speaker). He too exercises casting vote/** सभापति भी प्रथम दृष्टया मतदान नहीं कर सकता (अध्यक्ष की तरह)। वह भी निर्णायक मत का प्रयोग करता है।



Deputy Chairman of Rajya Sabha (राज्यसभा के उपसभापति)



- The Deputy Chairman is elected by the Rajya Sabha itself from amongst its members.
- उपसभापति का चुनाव राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है।
- Whenever the office of the Deputy Chairman falls vacant, the Rajya Sabha elects another member to fill the vacancy.
- जब भी उपसभापति का पद रिक्त होता है, तो राज्यसभा उस रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का चुनाव करती है।

Remember– the Deputy Chairman is not subordinate to the Chairman. He is directly responsible to the Rajya Sabha.

याद रखें - उपसभापति, सभापति के अधीनस्थ नहीं होता। वह सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

Article 90

Vacation, Resignation, Removal of Deputy Chairman.

अवकाश, त्यागपत्र, उपसभापति का हटाया जाना।

The Deputy Chairman vacates his office in any of the following three cases:

उपसभापति निम्नलिखित तीन स्थितियों में से किसी एक में अपना पद त्यागते हैं:

- **If he ceases to be a member of the Rajya Sabha / यदि वे राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते हैं**
- **If he resigns by writing to the Chairman of the Rajya Sabha / यदि वे राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर त्यागपत्र देते हैं**
- **If he is removed by a resolution in Rajya Sabha/ यदि उन्हें राज्यसभा में एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है**
- **The Deputy Chairman is removed by a resolution passed by a majority of all the then members of the Rajya Sabha (Absolute majority) and Such a resolution can be moved only after giving 14 days' advance notice./ उपसभापति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत (पूर्ण बहुमत) द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है और ऐसा प्रस्ताव केवल 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही पेश किया जा सकता है।**



Article 91

- **Power/ Duty of deputy Chairman / उपसभापति की शक्तियाँ/कर्तव्य**
- **The Deputy Chairman performs the duties of the Chairman's office when it is vacant, absent or when the Vice-President acts as President or discharges the functions of the President. / उपसभापति, सभापति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन तब करता है जब वह रिक्त हो, अनुपस्थित हो या जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता हो या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता हो।**
- **When the Chairman presides over the House, the Deputy Chairman is like any other ordinary member of the House./ जब सभापति सदन की अध्यक्षता करता है, तो उपसभापति सदन के किसी भी अन्य सामान्य सदस्य की तरह होता है।**
- **When the Deputy Chairman is presiding over the House, he can only exercise a casting vote and cannot vote in the first instance./ जब उपसभापति सदन की अध्यक्षता कर रहा होता है, तो वह केवल निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है और प्रथम दृष्टया मतदान नहीं कर सकता।**

Article 92



- Chairman and deputy chairman not to Preside during their removal process./ **सभापति और उपसभापति को अपने निष्कासन की प्रक्रिया के दौरान अध्यक्षता नहीं करनी है।**
- they can participate in proceedings but cannot preside during their removal./ **वे कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन अपने निष्कासन के दौरान अध्यक्षता नहीं कर सकते।**
- Can vote in first instance but not in the case of tie i.e. casting vote/ **प्रथम दृष्टया मतदान कर सकते हैं, लेकिन बराबरी की स्थिति में नहीं, अर्थात् निर्णायक मत।**
- Chairman does not have the casting vote right in this case, as he is not a member of Rajya Sabha./ **इस मामले में सभापति के पास निर्णायक मत का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं।**

Article 93

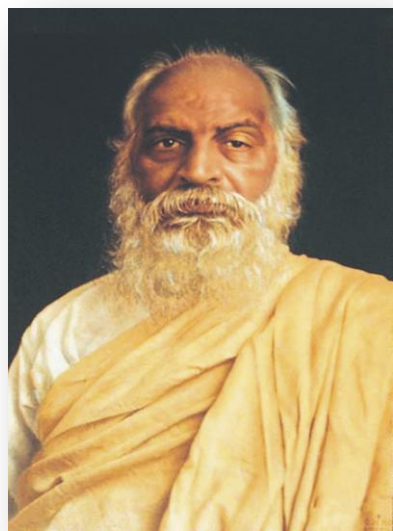
Speaker and deputy speaker of Lok Sabha./ लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।

Evolution of Speaker and Deputy Speaker:/ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का विकास:

- The institutions of Speaker and Deputy Speaker originated in India in 1921 under the provisions of the **Gol Act of 1919(Montague-Chelmsford Reforms)/** भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की संस्थाओं की शुरुआत 1919 के भारत सरकार अधिनियम (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के प्रावधानों के तहत 1921 में हुई।
- In 1921, Frederick Whyte and Sachidanand Sinha were appointed by the Governor-General of India as the first Speaker and the first Deputy Speaker(respectively) of the Central legislative assembly./ 1921 में, फ्रेडरिक व्हाइट और सचिदानंद सिन्हा को भारत के गवर्नर-जनरल द्वारा केंद्रीय विधान सभा का पहला अध्यक्ष और पहला उपाध्यक्ष (क्रमशः) नियुक्त किया गया था।
- G.V. Mavalankar and Ananthasayanam Ayyangar had the distinction of being the first Speaker and the first Deputy Speaker (respectively) of the Lok Sabha. / जी.वी. मावलंकर और अनंतशयनम अय्यंगर को लोकसभा का पहला अध्यक्ष और पहला उपाध्यक्ष (क्रमशः) होने का गौरव प्राप्त था।

Note: No deputy speaker appointed since 2019/ 2019 के बाद से कोई उपसभापति नियुक्त नहीं किया गया

G.V. Mavalankar also held the post of Speaker in the Constituent Assembly (Legislative) as well as the provisional Parliament. / जी.वी. मावलंकर ने संविधान सभा (विधान) के साथ-साथ अनंतिम संसद में भी अध्यक्ष का पद संभाला।



In 1925, Vithalbhai J. Patel became the first Indian and the first elected Speaker of the central legislative assembly.

जी.वी. मावलंकर ने संविधान सभा (विधान) के साथ-साथ अनंतिम संसद में भी अध्यक्ष का पद संभाला।

The Government Of India Act, 1935 changed the nomenclatures of President and Deputy President of the Central Legislative Assembly to the Speaker and Deputy Speaker respectively

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम बदलकर क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कर दिया।



Election and tenure of Speaker

अध्यक्ष का चुनाव और कार्यकाल



- The Speaker is elected by the Lok Sabha from amongst its members (as soon as may be, after its first sitting)
- लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से करती है (अपनी पहली बैठक के बाद यथाशीघ्र)।
- The date of election of the Speaker is fixed by the President.
- अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।

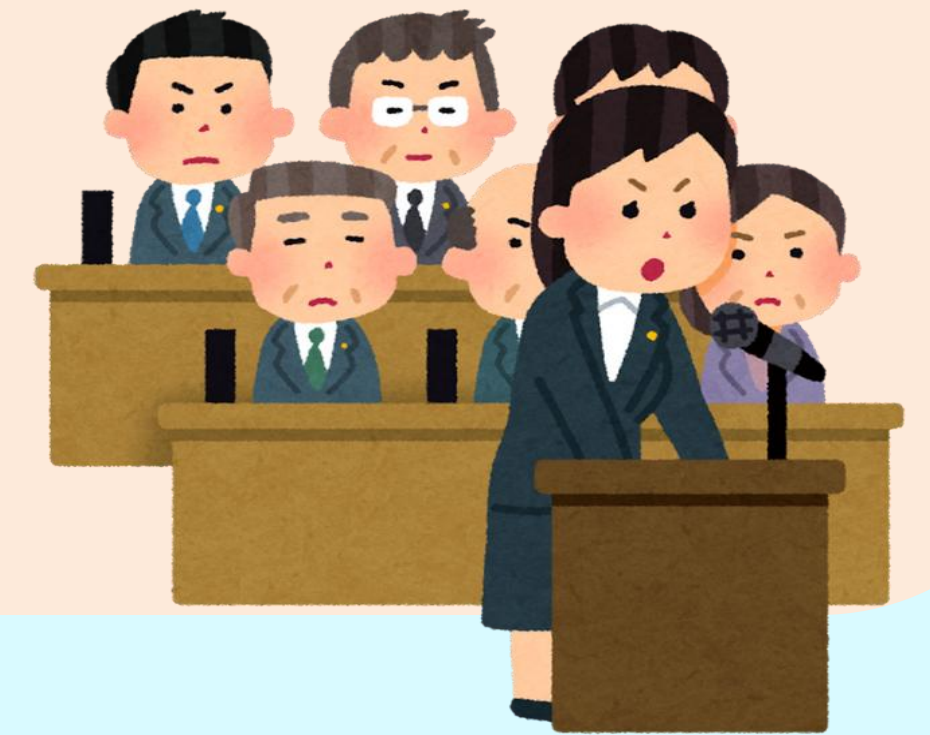
Removal of speaker/अध्यक्ष का निष्कासन:

- Resolution for removal must be passed by a majority of all then members of the Lok Sabha. (i.e. Absolute majority)
- उसे हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत (अर्थात पूर्ण बहुमत) से पारित होना चाहिए।
- Resolution for removal can be moved only after giving 14 days' advance notice
- उसे हटाने का प्रस्ताव केवल 14 दिन पहले सूचना देने के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

Role and authority of speaker

(वक्ता की भूमिका और अधिकार)

- **Speaker exercises a casting vote in the case of a tie and does not vote in the first instance. Its purpose is to resolve a deadlock.** / बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं और पहली बार में मतदान नहीं करते। इसका उद्देश्य गतिरोध का समाधान करना है।
- **The Speaker adjourns the House or suspends the meeting in absence of a quorum (one-tenth of the total strength of the House)** / गणपूर्ति (सदन की कुल संख्या का दसवाँ भाग) के अभाव में अध्यक्ष सदन की कार्यवाही स्थगित कर देते हैं या बैठक स्थगित कर देते हैं।
- **Speaker presides over a joint sitting (Art. 108) of the two Houses of Parliament.** / अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) की अध्यक्षता करते हैं।
- **Speaker acts as the ex-officio chairman of the Indian Parliamentary Group** / अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
- **Speaker is the chairman of the-** / अध्यक्ष निम्न के अध्यक्ष होते हैं-
 - **Business Advisory Committee** / कार्य मंत्रणा समिति
 - **Rules Committee** / नियम समिति
 - **General Purpose Committee.** / सामान्य प्रयोजन समिति



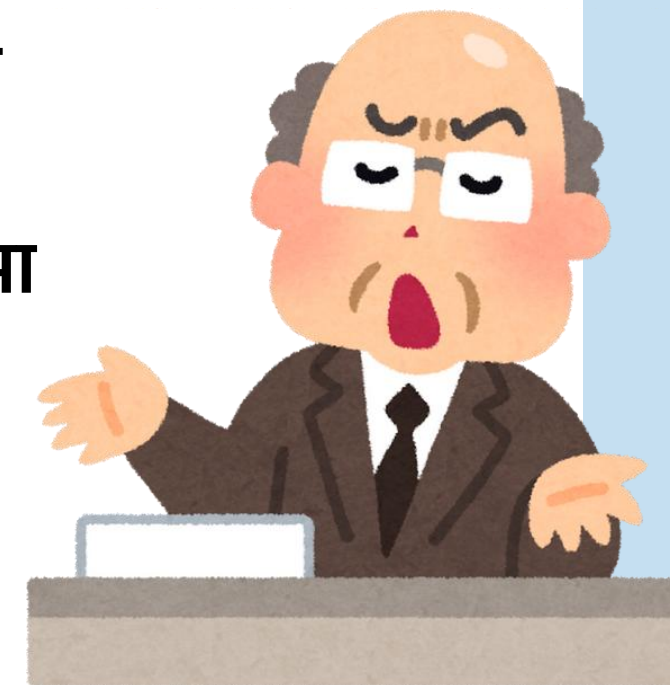
Role and tenure of deputy speaker (उपसभापति की भूमिका और कार्यकाल)

- Since the 11th Lok Sabha, there has been a consensus that the Speaker comes from the ruling party (or ruling alliance) and the post of Deputy Speaker goes to the main opposition party/ ग्यारहवीं लोकसभा के बाद से, यह आम सहमति रही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल (या सत्तारूढ़ गठबंधन) से होता है और उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल को मिलता है।
- Deputy Speaker is elected after the election of the Speaker has taken place. / उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष के चुनाव के बाद होता है।
- He is also elected by the Lok Sabha itself from amongst its members./ उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है।
- The date of election of the Deputy Speaker is fixed by the Speaker./ उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा तय की जाती है।



Speaker Pro-tem

- According to the Constitution, the Speaker of the last Lok Sabha vacates his office immediately before the first meeting of the newly-elected Lok Sabha./ संविधान के अनुसार, पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद छोड़ देता है।
- Speaker Pro-Tem institution facilitates the transition of the institution from old ones to newly elected members / अस्थायी अध्यक्ष, पुरानी लोकसभा से नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन का कार्यभार सौंपने में सहायता करता है।
- He also enables the House to elect the new Speaker/ वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार भी देता है।
- Therefore, the President appoints a member of the Lok Sabha as the Speaker Pro-Tem. Usually, the senior most member is selected for this./ इसलिए, राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है। आमतौर पर, इसके लिए सबसे वरिष्ठ सदस्य का चयन किया जाता है।
- He presides over the first sitting of the newly-elected Lok Sabha./ वह नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है।
- Main onus of Speaker Pro-Tem is to administer oath to the new members. / अस्थायी अध्यक्ष का मुख्य दायित्व नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है।



Article 94

- **Vacation, Resignation, removal of speaker and deputy speaker.** / अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अवकाश, त्यागपत्र, हटाया जाना।
- **Resignation:** speaker resigns to deputy speaker and vice versa. / **त्यागपत्र:** अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष उसे त्यागपत्र देते हैं।
- **Removal :** By effective majority / **निष्कासन:** प्रभावी बहुमत द्वारा
- **Speaker continues till the new speaker is elected.** / नए अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं।

Article 95

- **Power to perform duties/ कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति**
- **Deputy speaker presided when speaker is absent./** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं।
- **If the seat is vacate, then President can chose any member to discharge the duties./** यदि पद रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को कार्यभार सौंपने के लिए चुन सकते हैं।
- **If the speaker and deputy speaker, both are absent, then; one member of the Panel of Chairpersons, appointed by the speaker presides./** यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों अनुपस्थित हों, तो अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अध्यक्षों के पैनल का एक सदस्य अध्यक्षता करता है।

Article 97

- **Salaries and allowances.** / वेतन और भत्ते।
- **Salaries of chairman and deputy chairman of Rajya Sabha and Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha are decided by the Parliament.** / राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन संसद द्वारा तय किए जाते हैं।

Article 98

- **Secretariat of Parliament** / संसद का सचिवालय
- **Each house has its separate secretariat staff.** / प्रत्येक सदन का अपना अलग सचिवालय स्टाफ होता है।
- **Secretariat appointed by President on advice of the Speaker of the Lok Sabha and Chairman of Rajya Sabha.** / सचिवालय की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सलाह पर की जाती है।



Article 99

- Oaths or affirmation by members.
- Every member of each house must take oath before taking his/her seat as administered by the President or a person appointed by him.
- सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
- प्रत्येक सदन के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले शपथ लेनी होगी, जैसा कि राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा प्रशासित किया जाता है।

Article 100

- Voting in House and Quorum
- The chairman and speaker shall not vote in first instance but can cast a casting vote.
- If quorum is not met, the house is adjourned.
- सदन में मतदान और गणपूर्ति
- अध्यक्ष और अध्यक्ष प्रथम दृष्टया मतदान नहीं करेंगे, लेकिन निर्णायक मत दे सकते हैं।
- यदि गणपूर्ति पूरी नहीं होती है, तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है।

Quorum : 1/10th of the total strength of the house

Article 101

- Vacation of seats.
- No person shall be a member of both the houses.
- No person can be a member of state legislative assembly or member of parliament.
- सीटों का रिक्त होना।
- कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा।
- कोई भी व्यक्ति राज्य विधान सभा या संसद का सदस्य नहीं हो सकता।

Article 102



- **Disqualification for membership.** / सदस्यता के लिए अयोग्यता।
- **Found guilty of certain election offences.** / कुछ चुनावी अपराधों का दोषी पाया गया।
- **Convicted for any offence resulting in imprisonment for 2 or more years. (Not valid for preventive detention law).** / किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया जिसके परिणामस्वरूप 2 या अधिक वर्षों का कारावास हो। (निवारक निरोध कानून के अंतर्गत मान्य नहीं)।
- **Failed to lodge an account of his election expenses.** / अपने चुनावी खर्चों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहा।
- **Any interest in government contracts, works or services.** / सरकारी अनुबंधों, कार्यों या सेवाओं में कोई रुचि नहीं।
- **Be a director or managing agent nor hold an office of profit in a corporation in which the government has at least 25% share.** / किसी ऐसे निगम में निदेशक या प्रबंध प्रतिनिधि न हो जिसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो।
- **Dismissed from government service for corruption or disloyalty to the State.** / भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया।
- **Convicted for promoting enmity between different groups or for the offence of bribery.** / विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने या रिश्वतखोरी के अपराध के लिए दोषी पाया गया।
- **Punished for preaching and practising social crimes such as untouchability, dowry and sati.** / अस्पृश्यता, दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार और अभ्यास करने के लिए दंडित किया गया।

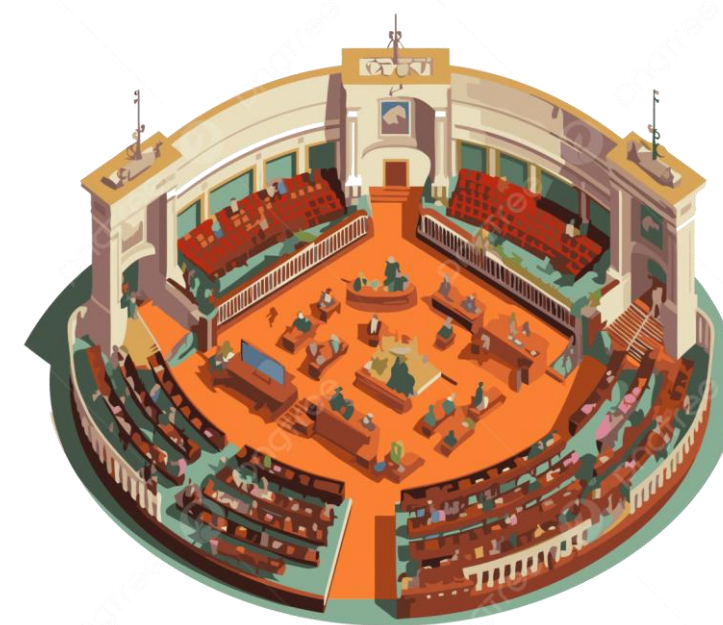
Note: President's decision is final on the question on any of the above disqualifications with opinion of the election commission./ उपरोक्त किसी भी अयोग्यता के प्रश्न पर चुनाव आयोग की राय से राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम है।

DISQUALIFICATION ON GROUND OF DEFECTION

दलबदल के आधार पर अयोग्यता

10th Schedule of Constitution

- Final decision by the Chairman in the case of Rajya Sabha and Speaker in the case of Lok Sabha (and not by the president of India) / राज्यसभा के मामले में सभापति और लोकसभा के मामले में अध्यक्ष द्वारा अंतिम निर्णय (भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं)
- Decision is subject to judicial review (kihoto Hollohan case 1992). / निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है (किहोतो होलोहन मामला, 1992)।
- Voluntary gives up the membership of the political party on whose ticket he is elected to the House/ वह जिस राजनीतिक दल के टिकट पर सदन के लिए निर्वाचित हुआ है, उसकी सदस्यता स्वेच्छा से त्याग देता है
- Votes or abstains from voting in the House contrary to any direction given by his political party/ अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है।



DISQUALIFICATION FOR MEMBERSHIP



- **A-101. Vacation of seats / सीटों का रिक्त होना**
- **A-102. Disqualifications for membership / सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ**
- **A-103. Decision on questions as to disqualifications of members / सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय**
- **A-104. Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under Article 99 or when not qualified or when disqualified/ अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने पर या अयोग्य होने पर दंड**

Article 105: powers, privileges, and immunities of Parliament members/ संसद सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ

- **Freedom of speech in parliament/ संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**
- **No proceedings in parliament can be questioned in any court of law./ संसद की किसी भी कार्यवाही पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।**
- **No MP is liable for anything said or any vote given in parliament./ कोई भी सांसद संसद में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के लिए उत्तरदायी नहीं है।**
- **Protection in case of civil arrest during a session 40 days before and after the session/ सत्र के दौरान नागरिक गिरफ्तारी के मामले में सत्र से 40 दिन पहले और बाद में सुरक्षा**
- **This protection does not apply to criminal arrest or preventive detention./ यह सुरक्षा आपराधिक गिरफ्तारी या निवारक निरोध पर लागू नहीं होती है।**

Article 106

- salaries and allowances of members.
- सदस्यों के वेतन और भत्ते।
- Fixed by the Parliament.
- संसद द्वारा निर्धारित।



Types of Bills in Parliament / संसद में विधेयकों के प्रकार :

Article 107

- Ordinary bills / साधारण विधेयक
- Citizenship amendment bill/ नागरिकता संशोधन विधेयक
- Constitutional amendment bill/ संविधान संशोधन विधेयक
- Financial bill/ वित्तीय विधेयक

Ordinary bill: Bills which are concerned with any matter other than financial subjects are ordinary bills.

साधारण विधेयक: वे विधेयक जो वित्तीय विषयों के अलावा किसी अन्य मामले से संबंधित हों, साधारण विधेयक कहलाते हैं।

Article 108



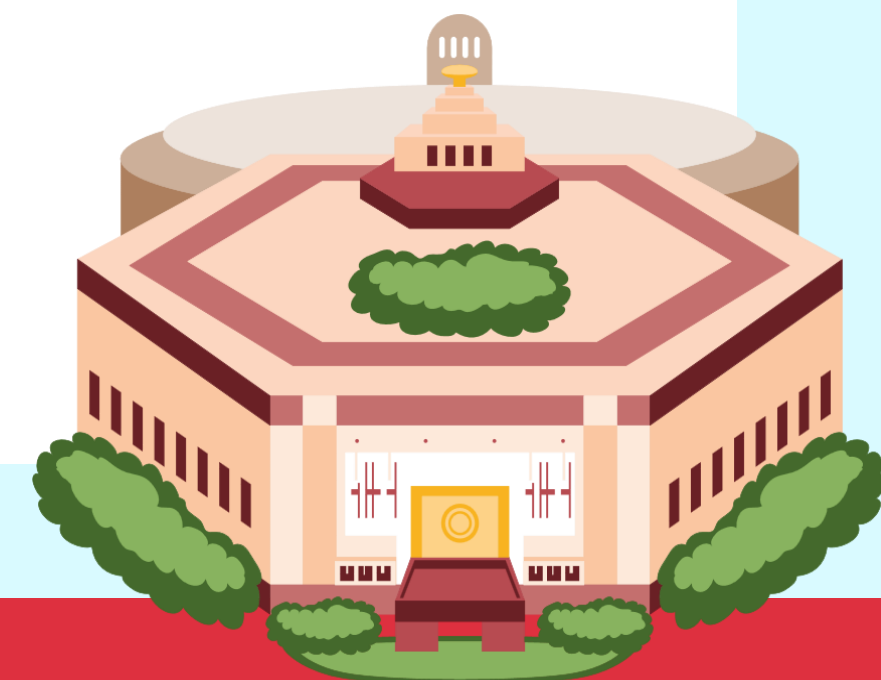
Joint sitting is taken from the Australian constitution/
संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है



- **Joint sitting of Both the Houses of Parliament.** / संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
- **the Constitution provided an extraordinary machinery of Joint sitting to resolve a deadlock between the two Houses over the passage of a bill.** / संविधान ने किसी विधेयक के पारित होने को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था प्रदान की है।
- **Potential situations of deadlocks – after a bill has been passed by one House and transmitted to the other House** / गतिरोध की संभावित स्थितियाँ - एक सदन द्वारा विधेयक पारित होने और दूसरे सदन को भेजे जाने के बाद
- **If the bill is rejected by the other House** / यदि विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है
- **If the Houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the bill** / यदि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों पर दोनों सदनों के बीच अंतिम असहमति हो जाती है
- **If more than six months have elapsed from the date of the receipt of the bill by the other House without the bill being passed by it.** / यदि विधेयक दूसरे सदन द्वारा प्राप्त होने की तिथि से छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी विधेयक पारित नहीं हुआ है।
- **Provision of joint sitting is applicable to ordinary bills or financial bills only.** / संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों या वित्तीय विधेयकों पर लागू होता है।
- **Provision of joint sitting is not applicable to money bill and constitutional amendment bill.** / संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता है।



- The joint sitting is governed by the Rules of Procedure of Lok Sabha and not of Rajya Sabha./ संयुक्त बैठक लोकसभा के प्रक्रिया नियमों द्वारा शासित होती है, न कि राज्यसभा के।
- Speaker of Lok Sabha presides over a joint sitting of the two Houses and the Deputy Speaker, in his absence./ लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं।
- Joint Sitzings in the Indian Parliament (SINCE 1950) / भारतीय संसद में संयुक्त बैठकें (1950 से)
- 1961 – Dowry prohibition bill (Lok Sabha was disagreed with proposed amendments) / दहेज निषेध विधेयक (लोकसभा प्रस्तावित संशोधनों से असहमत थी)
- 1978 – Banking services commission reform bill (rejected by Rajya Sabha) / बैंकिंग सेवा आयोग सुधार विधेयक (राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत)
- 2002 – Prevention of terrorism bill (Rajya Sabha rejected the bill)/ आतंकवाद निवारण विधेयक (राज्यसभा ने विधेयक को अस्वीकृत कर दिया)



★ Article 109

- **Special procedure for Money bills/** धन विधेयकों के लिए विशेष प्रक्रिया
- **Money bill can be introduced in Lok Sabha only on the recommendation of the President.** / धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- **After a bill is passed to Rajya Sabha it can approve, suggest amendments or to take no action on the bill but it must give its assent within 14 days./** राज्यसभा द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद, वह उसे स्वीकृत कर सकती है, संशोधन सुझा सकती है या उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, लेकिन उसे 14 दिनों के भीतर अपनी सहमति देनी होगी।
- **Lok Sabha may accept or reject the bill but Rajya Sabha can only give suggestions/** लोकसभा विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, लेकिन राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है।
- **If Rajya Sabha does not pass the bill within 14 days , it shall be deemed to be passed by the houses./** यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित नहीं करती है, तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा।



Definition of Money Bills धन विधेयक की परिभाषा

Article 110

- It states that a bill is deemed to be a money bill if it contains 'only' provisions dealing with all or any of the following matters:
- यह कहा गया है कि कोई विधेयक तभी धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें 'केवल' निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रावधान हों:
- The imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax.
- किसी भी कर का अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन या विनियमन।
- The regulation of the borrowing of money by the Union government.
- संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन।
- The custody of the Consolidated Fund of India or the Contingency Fund of India.
- भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund of India) या भारत की आकस्मिक निधि (Contingency Fund of India) की अभिरक्षा।
- The payment of moneys into or the withdrawal of money from any such fund.
- ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उससे धन निकालना।
- The appropriation of money out of the Consolidated Fund of India.
- भारत की समेकित निधि से धन का विनियोजन।
- Declaration of any expenditure charged on the Consolidated Fund of India or increasing the amount of any such expenditure.
- भारत की समेकित निधि पर आरोपित किसी व्यय की घोषणा या ऐसे व्यय की राशि में वृद्धि।
- The receipt of money on account of the Consolidated Fund of India or the Public Account of India or the custody or issue of such money.
- भारत की समेकित निधि या भारत के लोक लेखा (Public Account of India) के खाते में धन की प्राप्ति अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निर्गम।
- Or the audit of the accounts of the Union or of a State.
- या संघ अथवा किसी राज्य के लेखों (accounts) का लेखा-परीक्षण (audit)।



Article 111

- **Assent to bills.** / विधेयकों पर स्वीकृति।
- **After a bill is passed by both the houses of parliament then it goes to the President for his assent** / संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित होने के बाद, वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है।
- **The President may** / राष्ट्रपति
 - ✓ **Give assent (bill becomes act)**/ स्वीकृति दे सकते हैं (विधेयक अधिनियम बन जाता है)
 - ✓ **Use its veto power**/ अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।
- **Veto power of the President** /राष्ट्रपति की वीटो शक्ति:
 - ✓ **Absolute veto**/ पूर्ण वीटो
 - ✓ **Suspensive veto**/ निलंबन वीटो
 - ✓ **Pocket veto**/ पॉकेट वीटो



Discussed in the chapter of President in detail
राष्ट्रपति के अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई

The speaker of the Lok Sabha decides whether the bill is money bill or not. / लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं।

Article 112



- Annual financial statement (Budget) / वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
- The term “budget” has nowhere been used in the Constitution rather refers to the budget as the “annual financial statement” under Art. 112./ संविधान में कहीं भी "बजट" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट को "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा गया है।
- Annual budgeting started in India in 1860./ भारत में वार्षिक बजट की शुरुआत 1860 में हुई थी।
- The budget is a statement of the estimated receipts and expenditure of the GoI in a financial year along with other provisions./ बजट, एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, अन्य प्रावधानों के साथ, होता है।
- Financial year of GoI – Begins on 1 April and ends on 31 March of the following year./ भारत सरकार का वित्तीय वर्ष - 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है।
- Prior to 2017, the Government of India had two budgets / 2017 से पहले, भारत सरकार के दो बजट होते थे।





- **Railway Budget:** Consisted of the estimates of receipts and expenditures of only the Ministry of Railways / इसमें केवल रेल मंत्रालय की प्राप्तियों और व्यय का अनुमान शामिल होता है।
- **General Budget:** Consisted of the estimates of receipts and expenditure of all the ministries of the Government of India (except the railways)./ इसमें भारत सरकार के सभी मंत्रालयों (रेलवे को छोड़कर) की प्राप्तियों और व्यय का अनुमान शामिल होता है।
- The Railway Budget was separated from the General Budget in 1924 on the recommendations of the Ackworth Committee Report (1921)/ एकवर्थ समिति की रिपोर्ट (1921) की सिफारिशों पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था।
- In 2017, the Central Government merged the railway budget into the general budget. Henceforth, there is only one budget for the GoI called the Union Budget./ 2017 में, केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। अब से, भारत सरकार का केवल एक ही बजट है जिसे केंद्रीय बजट कहा जाता है।



Article 113

- Procedure in parliament with respect to Estimates / अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया
- Estimates of expenditure are divided into two parts:/ व्यय के अनुमान दो भागों में विभाजित हैं:
 - ✓ Charged on consolidated fund of India/ भारत की समेकित निधि पर भारित
 - ✓ Made from consolidated fund of India/ भारत की समेकित निधि से निर्मित

Article 114

- Appropriation bills / विनियोग विधेयक
- The appropriation bill is introduced to authorized the withdrawal of money from the consolidated fund of India. / भारत की समेकित निधि से धन निकालने को अधिकृत करने के लिए विनियोग विधेयक पेश किया जाता है।



★ Article 115

- **supplementary , Additional , excess grants / अनुपूरक, अतिरिक्त, अतिरिक्त अनुदान**

★ Article 116

- **vote on account, vote on credit, and exceptional grants/ लेखानुदान, ऋण पर मतदान, और असाधारण अनुदान**
- **Different types of fund mentioned in the constitution:**
- **संविधान में उल्लिखित विभिन्न प्रकार की निधियाँ:**
 1. **Consolidated fund of India / भारत की समेकित निधि (Article 266)**
 2. **Public account of India / भारत का सार्वजनिक खाता (Article 266)**
 3. **Contingency fund of India / भारत की आकस्मिकता निधि (Article 267)**



Article 117

- **special provisions for financial bills/ वित्तीय विधेयकों के लिए विशेष प्रावधान**

Article 118

- **Rules of Procedure./ प्रक्रिया नियम।**
- **Each house of Parliament may make rules for regulating its procedures and code of conduct./ संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रियाओं और आचार संहिता को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।**

Article 119

- **regulation of Procedure for financial Business/ वित्तीय कार्य के लिए प्रक्रिया का विनियमन**

Article 120

- **Languages used in the Parliament./ संसद में प्रयुक्त भाषाएँ।**

LANGUAGE IN PARLIAMENT

(संसद में भाषा)

- Constitution has declared Hindi and English to be the languages for transacting business in the Parliament / संविधान ने संसद में कार्य संचालन के लिए हिंदी और अंग्रेजी को भाषा घोषित किया है।
- Presiding officer can permit a member to address the House in his mother-tongue. / पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।
- Official Languages Act 1963 allowed English to be continued along with Hindi/ राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी जारी रखने की अनुमति दी गई है।

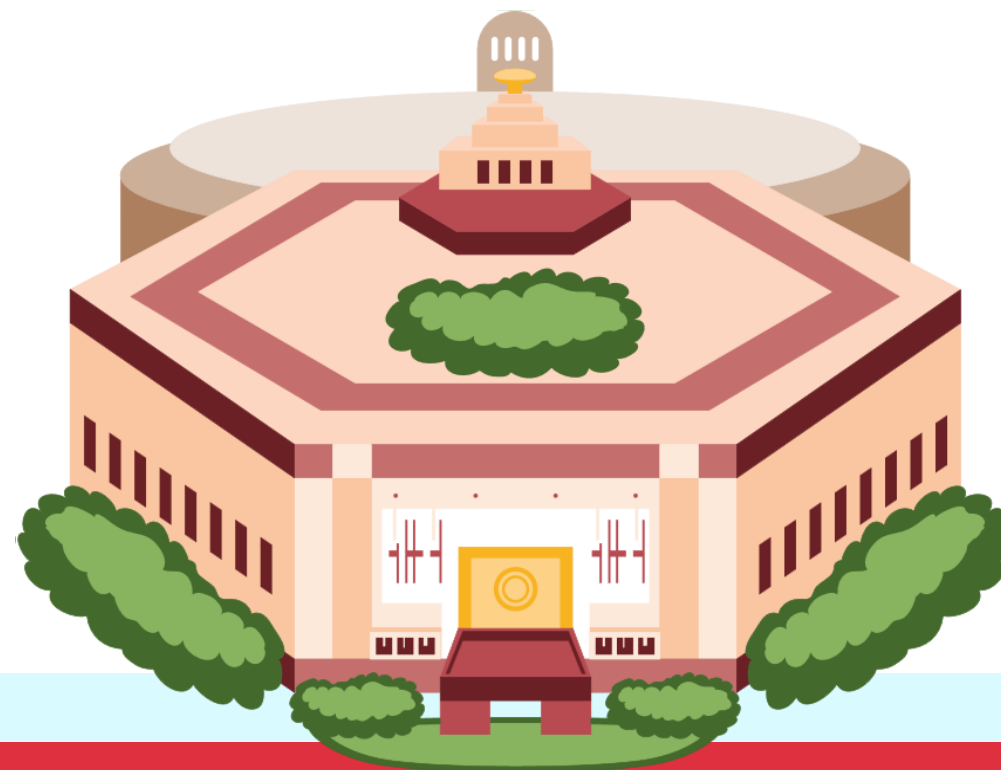


Article 121

- Restriction on discussion in Parliament.
- संसद में चर्चा पर प्रतिबंध।
- No discussion shall take place in the Parliament with respect to the conduct of any judge of the supreme court or high court.
- सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी।

Article 122

- Court not to inquire in the proceedings of the Parliament.
- न्यायालय संसद की कार्यवाही की जाँच नहीं करेगा।



Article 123

- Power of president to promulgate ordinances (discussed in the chapter of President)
- राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (जिसकी चर्चा राष्ट्रपति के अध्याय में की गई है)



Parliamentary Committee

Permanent Committee
(स्थायी समिति)

Temporary committee
(अस्थायी समिति)

Standing committee

Ad- hoc committee

Financial committee

1. Public accounts Committee
2. Estimates Committee
3. Committee On Public Undertakings



Public Accounts Committee

(लोक लेखा समिति)

- First setup in 1921 under the provisions of the GoI Act of 1919
- 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1921 में पहली बार स्थापित
- In 1921, PAC was headed by the Finance minister
- 1921 में, PAC का नेतृत्व वित्त मंत्री करते थे।
- Presently, it consists of 22 members
- वर्तमान में, इसमें 22 सदस्य हैं (Lok Sabha – 15 and Rajya Sabha – 7)
- Election of members– Every year by the Parliament from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote.
- सदस्यों का चुनाव - संसद द्वारा अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है।
- Term of office of the members– one year.
- सदस्यों का कार्यकाल - एक वर्ष।
- A minister cannot be elected as a member of the committee.
- किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता।

Since 1967 a convention has developed whereby the chairman of the committee is selected invariably from the Opposition. Earlier was from the ruling party.
1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष से चुना जाता है।
पहले यह पद सत्ताधारी दल से होता था।

Estimates committee (अनुमान समिति)



- **The origin can be traced to the standing financial committee set up in 1921./** इसकी उत्पत्ति 1921 में गठित स्थायी वित्तीय समिति से मानी जा सकती है।
- **The first Estimates Committee was constituted in 1950 on the recommendation of John Mathai, the then finance minister/** पहली प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था।
- **All the 30 members are from Lok Sabha only./** सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से हैं।
- **The Rajya Sabha has no representation in this committee./** इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **Election of members– Every year by the Lok Sabha from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote. It ensures that all parties get due representation in it. /** सदस्यों का चुनाव- लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी दलों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व मिले।
- **Term of office– one year./** कार्यकाल- एक वर्ष।
- **A minister cannot be elected as a member of the committee/** किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता।

Committee on Public Undertakings (सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति)

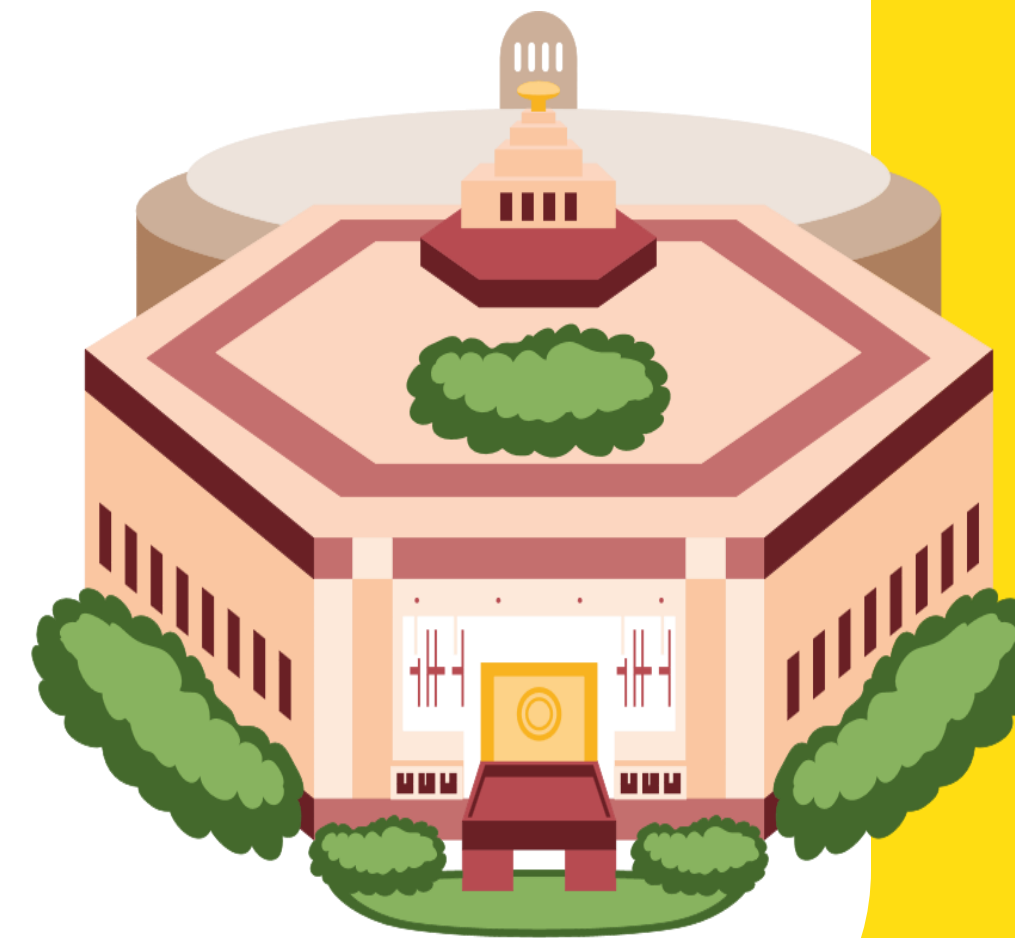
- **First created in 1964 on the recommendation of the Krishna Menon Committee./** कृष्ण मेनन समिति की सिफ़ारिश पर 1964 में पहली बार इसका गठन किया गया था।
- **Presently, it consists of 22 members (Lok Sabha – 15 and Rajya Sabha – 7)/** वर्तमान में, इसमें 22 सदस्य हैं (लोकसभा - 15 और राज्यसभा - 7)।
- **Election of members– Every year by the Lok Sabha from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote. It ensures that all parties get due representation in it./** सदस्यों का चुनाव - लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी दलों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व मिले।
- **Term of office– one year. /** कार्यकाल - एक वर्ष।
- **A minister cannot be elected as a member of the committee/** किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता।



Business Advisory Committee

(व्यापार सलाहकार समिति)

- Organizing House Proceedings in the Indian Parliament
- भारतीय संसद में सदन की कार्यवाही का आयोजन
- Committee regulates the programme and time table of the House.
- समिति सदन के कार्यक्रम और समय-सारिणी का नियमन करती है।
- Lok Sabha Committee consists of 15 members including the Speaker as its chairman.
- लोकसभा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं।
- Rajya Sabha Committee consists of 11 members including the Chairman as its ex officio chairman.
- राज्यसभा समिति में अध्यक्ष सहित 11 सदस्य होते हैं।



Rules Committee of the Indian Parliament (भारतीय संसद की नियम समिति)

- **Governing House Procedure and Conduct/ शासी सदन की प्रक्रिया एवं आचरण**
- **Lok Sabha committee consists of 15 members including the Speaker as its ex officio chairman/ लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें अध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।**

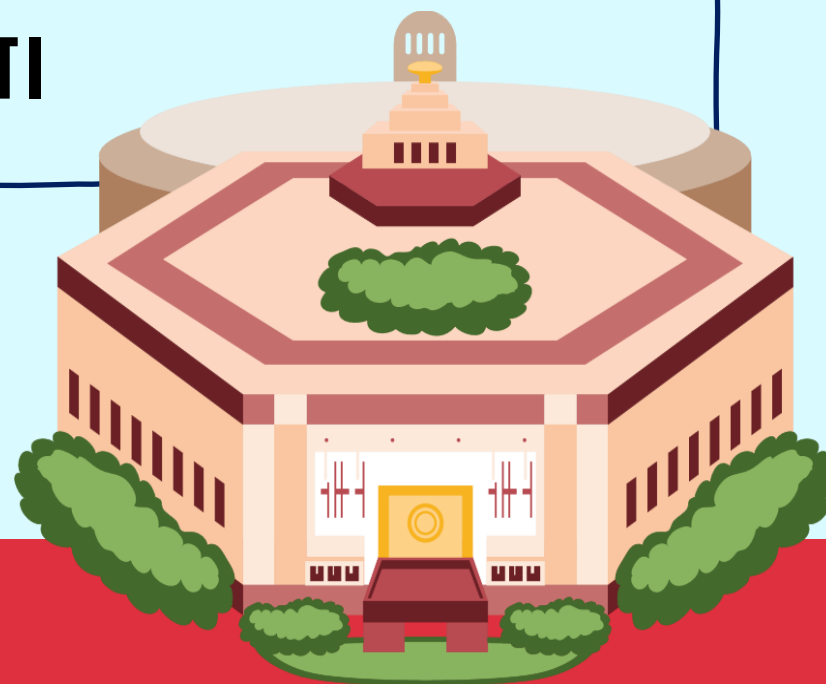
Role of the Parliamentary Committee on Women Empowerment:

- **Committee was constituted in 1997 / समिति का गठन 1997 में किया गया था।**
- **Consists of 30 members (20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha)./ इसमें 30 सदस्य (लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10) होते हैं।**
- **It considers the reports of the National Commission for Women / यह राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्टों पर विचार करती है।**
- **Examines the measures taken by the Union Government to secure status, dignity and equality for women in all fields. / यह सभी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति, सम्मान और समानता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जाँच करती है।**

Committee on Ethics in the Indian Parliament (भारतीय संसद में नैतिकता समिति)

Committee was constituted
in Rajya Sabha in 1997 and
in Lok Sabha in 2000

1997 में राज्यसभा और 2000 में
लोकसभा में समिति का गठन किया
गया था।



Panchhi Commission (पंछी आयोग)

- **Restoring Domicile Norms in the Indian Parliament** / भारतीय संसद में अधिवास मानदंड बहाल करना
- **Recommended restoration of domicile norm, which was removed in 2003.** / अधिवास मानदंड को बहाल करने की सिफारिश की, जिसे 2003 में हटा दिया गया था।
- **Reason– Loyalty towards the party and not the state to which he/she represents/** कारण- पार्टी के प्रति निष्ठा, न कि उस राज्य के प्रति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता/करती है।

QUESTION :- 1

The first hour of a sitting of the House allotted for asking and answering of questions is called as

संसद की बैठक के पहले घंटे को, जो प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए निर्धारित होता है, क्या कहा जाता है?

- (a) Censure Motion (अविश्वास प्रस्ताव)
- (b) Zero Hour (शून्यकाल)
- (c) Privilege Motion (विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव)
- (d) Question Hour (प्रश्नकाल)

SSC Stenographer 12/10/2023



QUESTION :- 2

A Money Bill under Article 111 of the Constitution of India, presented to the President for assent, has to be endorsed by a certificate signed by whom that it is a Money Bill?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत धन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से पहले किसके प्रमाणपत्र द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि वह धन विधेयक है?

- (a) Secretary General of the Lok Sabha (लोकसभा महासचिव)
- (b) Secretary General of the Rajya Sabha (राज्यसभा महासचिव)
- (c) Speaker of Lok Sabha (लोकसभा अध्यक्ष)
- (d) Deputy Chairman of Rajya Sabha (राज्यसभा उपसभापति)

SSC CPO 03/10/2023



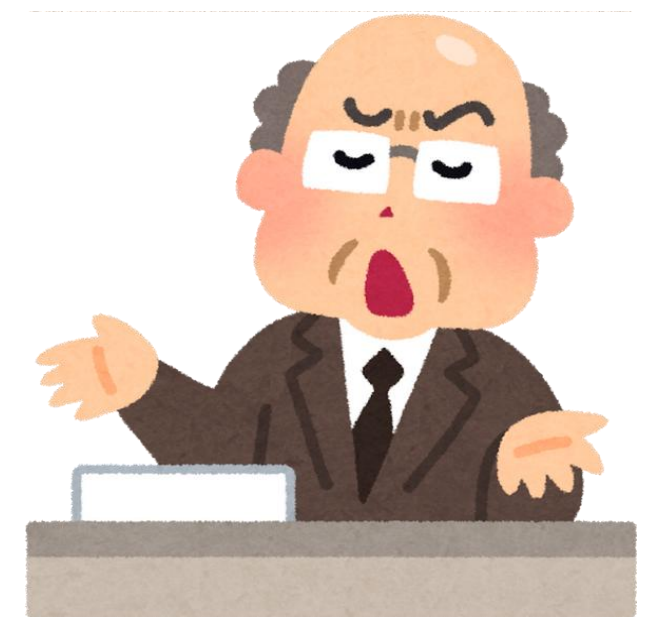
QUESTION :- 3

After how many days of absence from Parliament without permission will a Member of Parliament be disqualified?

संसद से बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर कितने दिनों के बाद सांसद अयोग्य ठहराया जाता है?

- (a) 60 days (60 दिन)
- (b) 30 days (30 दिन)
- (c) 50 days (50 दिन)
- (d) 20 days (20 दिन)

SSC CPO 05/10/2023



QUESTION :- 4

What is the most powerful weapon that enables the Parliament to ensure executive accountability?

कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है?

- (a) Approval or refusal of laws (कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति)
- (b) The No-Confidence Motion (अविश्वास प्रस्ताव)
- (c) Confirmation of treaties (संधियों की पुष्टि)
- (d) Deliberation and discussion (विचार-विमर्श और चर्चा)

SSC MTS 04/09/2023



QUESTION :- 5

Which of the following is NOT a Cabinet Committee?

निम्नलिखित में से कौन सी मंत्रिमंडलीय समिति नहीं है?

- (a) Appointment Committee of the Cabinet (मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति)
- (b) Committee on Political Affairs (राजनीतिक मामलों की समिति)
- (c) Committee on Investment and Growth (निवेश और विकास समिति)
- (d) Committee on Conflicts among Ministers (मंत्रियों के बीच विवाद समिति)

SSC MTS 2023



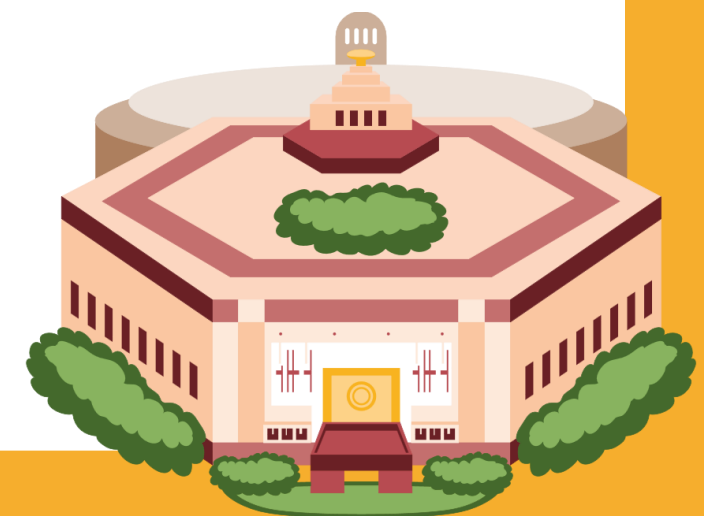
QUESTION :- 6

What is the maximum time gap between two sessions of the State Legislature?

राज्य विधानमंडल के दो सत्रों के बीच अधिकतम समयांतराल कितना हो सकता है?

- (a) Three months (तीन महीने)
- (b) Two months (दो महीने)
- (c) Six months (छह महीने)
- (d) One year (एक वर्ष)

SSC MTS 2023



QUESTION :- 7

Who was the first Speaker of the Lok Sabha?

लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?

- (a) N. S. Reddy (एन. एस. रेड्डी)
- (b) G. V. Mavlankar (जी. वी. मावलंकर)
- (c) Ananthasayanam Ayyangar (अनंतसायनम अयंगार)
- (d) Meira Kumar (मीरा कुमार)

SSC CGL



QUESTION :- 8

A maximum of how many members can be nominated by the President of India to the Rajya Sabha?

भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं?

- (a) 12
- (b) 25
- (c) 18
- (d) 13

SSC MTS 2023



QUESTION :- 9

Which of the following can alter the boundary of a State or change its name?

निम्न में से कौन राज्य की सीमाओं में बदलाव या उसका नाम परिवर्तन कर सकता है?

- (a) State Government (राज्य सरकार)
- (b) Parliament (संसद)
- (c) Supreme Court (सुप्रीम कोर्ट)
- (d) High Court (हाई कोर्ट)

SSC CGL 08/12/2022



QUESTION :- 10

Who runs the government at the national level under the Parliamentary system?

संसदीय प्रणाली में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है?

(a) The President and Council of Ministers

(राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद)

(b) The Prime Minister and Council of Ministers

(प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद)

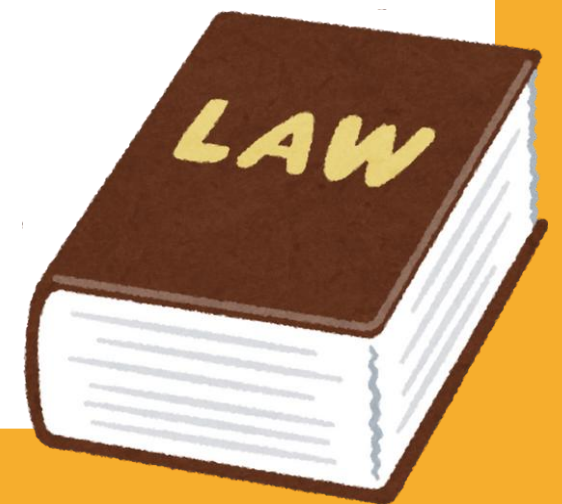
(c) The Prime Minister

(प्रधानमंत्री)

(d) The President

(राष्ट्रपति)

SSC CGL 2022



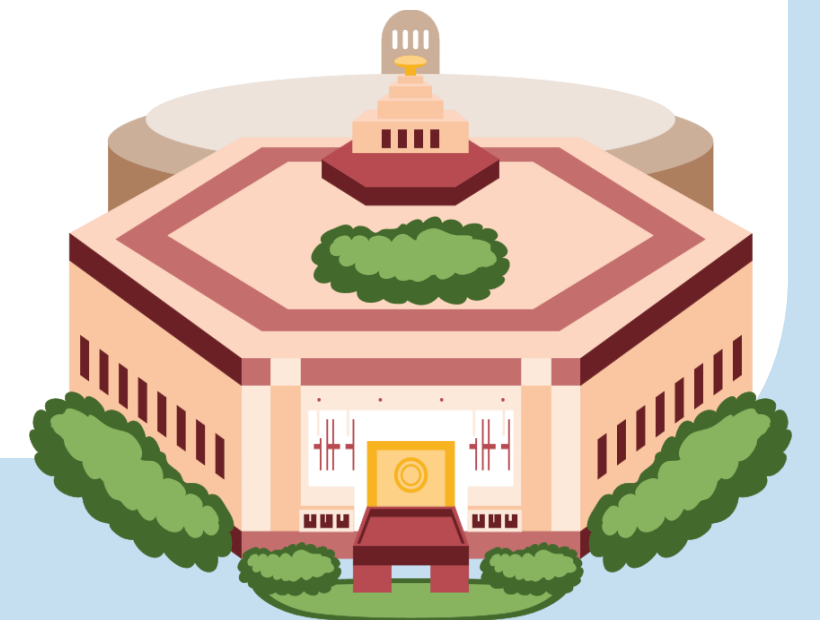
QUESTION :- 11

Which of the following is NOT a kind of question related to the Indian Parliamentary system?

निम्नलिखित में से कौन-सा प्रश्न भारतीय संसदीय प्रणाली से संबंधित प्रश्नों का प्रकार नहीं है?

- (a) Starred Question (तारांकित प्रश्न)
- (b) Unstarred Question (अतारांकित प्रश्न)
- (c) Short Notice Question (अल्प सूचना प्रश्न)
- (d) Long Notice Question (दीर्घ सूचना प्रश्न)

SSC CPO 09/11/2023



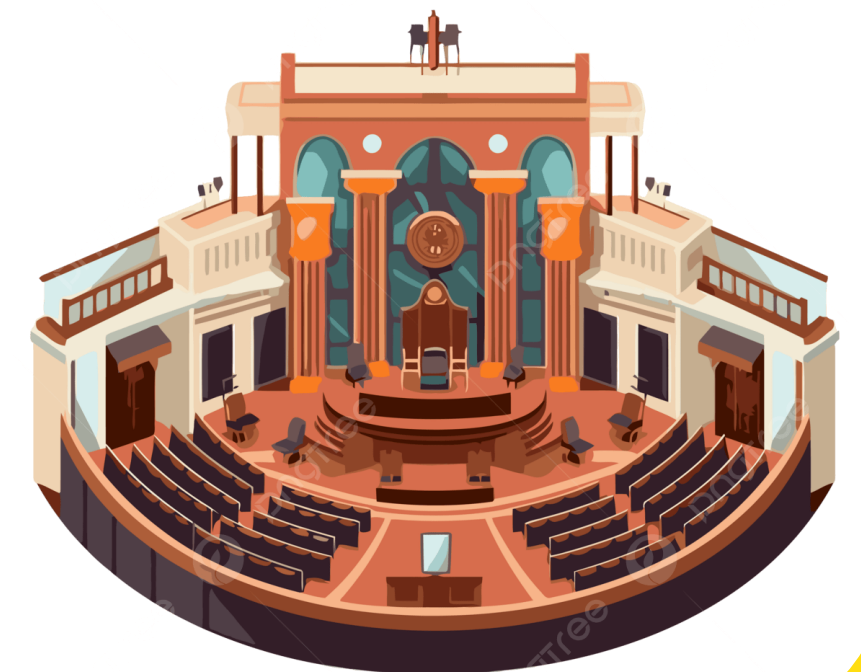
QUESTION :- 12

To whom is the Council of Ministers collectively responsible?

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?

- (a) Lok Sabha (लोकसभा)
- (b) The Parliament (संसद)
- (c) Both Lok Sabha and Rajya Sabha (लोकसभा और राज्यसभा दोनों)
- (d) President of India (भारत के राष्ट्रपति)

SSC CPO 2023



QUESTION :- 13

The word 'Mantrimandal' (Cabinet) is mentioned only once in the Constitution of India. It appears in –

‘मंत्रिमंडल’ शब्द संविधान में केवल एक ही बार आया है। यह निम्न में से किस अनुच्छेद में है?

- (a) Article 352 (अनुच्छेद 352)
- (b) Article 74 (अनुच्छेद 74)
- (c) Article 356 (अनुच्छेद 356)
- (d) Article 76 (अनुच्छेद 76)

BPSC



QUESTION :- 14

Who among the following was the member of Lok Sabha during his Prime Ministership?

निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान लोकसभा के सदस्य थे?

- (a) Deve Gowda (देवेगौड़ा)
- (b) I. K. Gujral (आई. के. गुजराल)
- (c) Chandrashekhar (चंद्रशेखर)
- (d) Dr. Manmohan Singh (डॉ. मनमोहन सिंह)

UPPCS



QUESTION :- 15

The reorganisation of Union Cabinet is based on the report of –

केंद्रीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का आधार किसकी रिपोर्ट है?

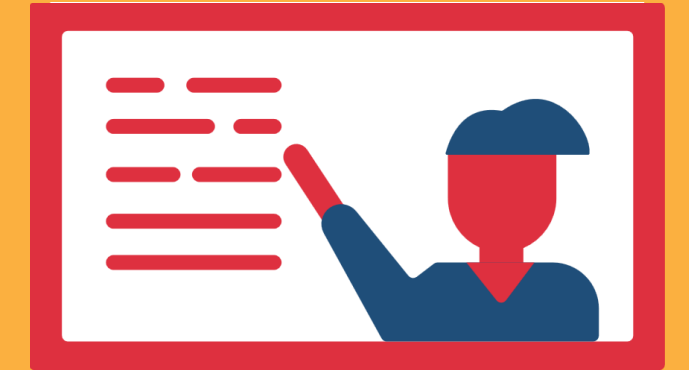
- (a) Gopalaswami Ayyangar (गोपालास्वामी अयंगर)
- (b) K. M. Munshi (के. एम. मुंशी)
- (c) T. T. Krishnamachari (टी. टी. कृष्णमाचारी)
- (d) B. C. Roy (बी. सी. रॉय)

UPPCS





ANSWER KEY



1-(d)

2-(c)

3-(a)

4-(b)

5-(d)

6-(c)

7-(b)

8-(a)

9-(b)

10-(b)

11-(d)

12-(a)

13-(a)

14-(c)

15-(a)

**THANK
YOU**

